

शमकुमाँ १ नम प्रमोद

13/1/2017 आहा विस्तृत रूप से  
दिया

दिनांक आवा या कार्यवाही	दिनांक आवा या कार्यवाही
19/6/24	<p>प्रमोदजी पेशा डी नवीक करी अण नवीक वारी की आवा 07 R14 CPE पा दिया खुनी गडी प्रधी गडी का आवा 07 R14 CPE स्वीकार किता जावा ही वारी दारा प्रानुव दतावेभाव रिकार्ड पर किडे जाते है वारते साक्षा वारी हेतु किडे 27/6/24 को पेश ही</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
27/6/2024	<p>प्रमोदजी पेशा डी व नील वरी ठपठ आवा वरी मे गवाह राप सत 24/6/24 गोविन्द ने वधान लेखक के निपेसने आवा वरी मे कोर की साक्ष के पेश करना साक्षि किता व/अ व/अ उपखण्ड द्वितीय 27/6/24 को पेश ही</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>
28/6/24	<p>प्रमोदजी पेशा डी व नील वरी ठपठ व नील वरी ठपठ ठपठ ठपठ ठपठ ठपठ गवा वरी का वरद के वीर का किता जागर की किता जागा है किता व/अ व/अ व/अ को किता जागा जागर सुपुत्र व/अ व/अ किता जागा प्रमोदजी किता व/अ व/अ का किता जागा व/अ व/अ व/अ व/अ किता व/अ व/अ</p> <p>उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>

19/6/24

27/6/2024

दिनांक आवा  
या कार्यवाही



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर-द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.  
वाद संख्या : 131/2017  
प्रार्थना पत्र संख्या: 9/2017  
निर्णय दिनांक : 28/6/2024

1. रामकुमार पुत्र स्व० भगवतराम जाट
2. रामस्वरूप पुत्र स्व० भगवतराम जाट
3. गोविन्दराम पुत्र स्व० भगवतराम जाट जाति जाट निवासीगण सांगोता की ढाणी, चाणचुक्था, महलों तहसील मौजमावाद जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम


1. दामोदर पुत्र स्व० श्री घासी
2. जगदीश पुत्र स्व० श्री घासी
3. रामनारायण पुत्र स्व० श्री घासी
4. श्रीमती ग्यारसीदेवी पत्नी स्व० श्री घासी  
समस्त जाति जांगीड निवासी ग्राम कोदर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण


वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, व धारा 111, 128 राज भू-भूराजस्व अधि० 1956

निर्णय

वादीगण की ओर से पेश वाद वाद पत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 111, 128 राज भू-राजस्व अधि० 1956 का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की साविक कृषि भूमि खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा यानी 0.63 हैक्टेयर बनता है परन्तु दौराने सेटलमेन्ट उक्त साविक खसरा नम्बर के हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम कोदर तहसील सांगानेर जिला जयपुर बना दिये इस प्रकार वादीगण की 0.04 हैक्टेयर भूमि कर खसरा नम्बर 296 व 299 में अंकित कर दी गई जबकि खसरा नम्बर 296 व 299 पर हमेशा से ही वादीगण का कब्जा काश्त रहा है। उक्त आराजी कृषि भूमि वादीगण की माता श्रीमती केसर देवी पत्नी भगवतराम जाट के नाम से क्रय की गई थी। तथा वादीगण की माता का देहान्त हो चुका है। तथा विरासत का नामान्तरकरण अभी तक वादीगण के पक्ष में खोला गया नहीं है वादीगण ही एक मात्र विधिक वारिस है तथा घोषणा करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण के साविक खसरा नम्बर 122/649 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा यानी 2.62 हैक्टेयर से बने हाल खसरा नम्बर 284 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 285 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 286 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 287 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 288 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर


  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

290 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 291 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.32 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 293 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 294 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 295 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 296 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 रकबा 0.09 हैक्टेयर, कुल किता 14 कुल रकबा 2.79 हैक्टेयर अंकित कर दी। इस प्रकार प्रतिवादीगण की भूमि में 0.17 हैक्टेयर भूमि गलत रूप से दौराने सेटलमेन्ट अंकित कर दी जबकि हाल खसरा नम्बर 296 व 299 की भूमि हमेशा से ही वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि है तथा उक्त भूमि के चारों ओर पुख्ता तार बाउण्डरी अर्से कदीम से कर रखी है। दौराने सेटलमेन्ट भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारीयो व कर्मचारीयो को किरसी भी खातेदारी मे फेरबदल करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारीयो व कर्मचारीयो ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर गलत रूप से वादीगण की 0.04 हैक्टेयर भूमि जो कि खसरा नम्बर 296 व 299 में सम्मिलित कर प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दी, तथा प्रतिवादीगण का साबिक से हाल रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि अधिक कर वादीगण के कब्जे काश्त के खसरा नम्बर 296 व 299 कुल रकबा 0.18 हैक्टेयर गलत रूप से राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया। जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त है। जिसको दुरुस्त करवाने के लिए वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण को उक्त बात की जानकारी दिनांक 19.06.2016 को प्रतिवादीगण द्वारा भिजवाये गये नोटिस से हुयी तब वादीगण ने उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड एकत्रित किया तो पता चला कि प्रतिवादीगण ने दौराने सेटलमेन्ट भू-प्रबन्ध विभाग के अधिकारीयो व कर्मचारीयो से साठ गाठ कर वादीगण की 0.04 हैक्टेयर भूमि अपने नाम से करवाकर गलत रूप से हाल खसरा नम्बर 296 व 299 अपने नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित करवा लिया जिससे प्रतिवादीगण का रकबा 0.17 हैक्टेयर अधिक हो गया तथा प्रतिवादी ने वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करने के लिए पत्थरगढी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमे वादीगण ने न्यायालय हाजा मे काउन्टर क्लेम पेश कर अपनी उक्त दुरुस्ती चाही परन्तु न्यायालय ने घोषणा का वाद पेश करने के लिए कहा तब सेटलमेन्ट की दुरुस्ती को करने के लिए वादीगण ने श्रीमान न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तो प्रतिवादीगण ने भी यह आपत्ति उठाई कि वादीगण को घोषणा का वाद पत्र लाना चाहिए। प्रतिवादीगण वादीगण को दिनांक 18.10.2017 को दिपावली की छुट्टीयो मे वादीगण की मेड व तार बाउण्डरी तोडने की कोशिश की तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण आग बबूला हो गये और गांली गलौच करने लगे और कहा कि खसरा नम्बर 296 व 299 हमारे नाम से अंकित हो गये है जिस पर आप पत्थरगढी नहीं करने देना चाहते इस कारण हम जबरन कब्जा करेगे। इस कारण वादीगण को यह वादपत्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ। वादीगण की कब्जेशुद्धा व अधिकारशुद्धा कृषि भूमि जिसम पर वादीगण का असेंदराज से कब्जा काश्त रहा है तथा अर्से कदीम से पुख्ता तार बाउण्डरी बनी हुयी है जो वादीगण के साबिक नक्शा ट्रेस से बने हाल नक्शा ट्रेस के अनुसार है। जिसकी मौका रिपोर्ट मंगवाकर उसकी जाचं कर वादीगण के नाम से लगवाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। वादीगण

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 जयपुर द्वितीय (सांगानेर)


घोषणा करवाने के अधिकारी है कि साबिक खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा यानी 0.63 हैक्टेयर से बने हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम कोदर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि मे साबिक से हाल खसरा नम्बर मे 0.04 हैक्टेयर भूमि कर खसरा नम्बर 296 व 299 में अंकित कर प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में लगा दी है उसको प्रतिवादीगण के नाम से खसरा नम्बर 296 व 299 मे से हटाकर वादीगण के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। खातेदार काश्तकार की घोषणा नही की जाती है तब तक प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 296 व 299 पर किसी प्रकार की तोडफोड नही करे, तार बाउण्डरी को नही हटाये तथा न ही उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये तथा न ही उक्त आराजीयात का हस्तान्तरण करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। प्रतिवादी संख्या पांच को पाबन्ध फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात की किसी प्रकार से पत्थरगढी नही करे तथा मौके की यथारिथती बनाये रखें। वाद कारण जब शुरू हुआ जब प्रतिवादीगण ने दिनांक 18.10.2017 को दिपावली की छुट्टीयो मे वादीगण की मेड व तार बाउण्डरी तोडने की कोशिश की तो वादीगण ने प्रतिवादीगण को मना किया तो प्रतिवादीगण आग बबूला हो गये और गांली गलौच करने लगे और कहा कि खसरा नम्बर 296 व 299 हमारे नाम से अंकित हो गये है जिस पर आप पत्थरगढी नही करने देना चाहते इस कारण हम जबरन कब्जा करेगे से निरन्तर जारी है। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिकी फरमाया जावे कि साबिक खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा यानी 0.63 हैक्टेयर से बने हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम कोदर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि मे साबिक से हाल खसरा नम्बर मे 0.04 हैक्टेयर भूमि कर खसरा नम्बर 296 व 299 में अंकित कर प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड मे लगा दी है उसको प्रतिवादीगण के नाम से खसरा नम्बर 296 व 299 में से हटाकर वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। उसी अनुसार सीमा का निर्धारण किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 296 व 299 पर किसी प्रकार की तोडफोड नही करे, तार बाउण्डरी को नही हटाये तथा न ही उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये तथा न ही उक्त आराजीयात का हस्तान्तरण करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नही करे। प्रतिवादी संख्या पांच को पाबन्ध फरमाया जावे कि उक्त आराजीयात की किसी प्रकार से पत्थरगढी नही करे तथा मौके की यथारिथती बनाये रखें।

वादीगण की ओर से पेश वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी। दिनांक 24.01.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यनारायण शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दिनांक 07.03.2018 को वकील प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने जवाब दावा व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 धारा 10 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया। दिनांक 18.10.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री हेमचन्द्र वैरवा ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 10.07.2019 को प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई एवं आदेश दिये गये कि पत्रावली संख्या 9/2017(112/2018) उनवानी रामकुंवार व अन्य बनाम दामोदर व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 को मूल वाद संख्या 131/2017 के संलग्न (हमफिता) किया गया। दिनांक 06.02.2020 को पत्रावली पेश हुई, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं करने पर जवाब दावे का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 09.03.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। दोनों पक्षों के अभिवचन के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किये गये:-

1. आया कि वादीगण साविक खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा यानि 0.63 हैक्टेयर से बने हाल खसरा नम्बर 297 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.68 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम कोदर तहसील सांगानेर जिला जयपुर की भूमि में साविक से हाल खसरा नम्बर 0.04 हैक्टेयर भूमि कर खसरा नम्बर 296 व 299 में अंकित प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त/हटाकर अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी है।  
वादीगण
2. आया कि वादीगण विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।  
वादीगण
3. आया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण कब्जा काश्त है।  
वादीगण
4. आया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का कब्जा नहीं है बल्कि प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त व रिकार्डेड खातेदार है।  
प्रतिवादीगण
5. आया कि वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण मिन प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी नहीं है।  
प्रतिवादीगण
6. आया कि वादग्रस्त आराजीयात पर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खरीदशुद्धा भूमि के नये खसरा नम्बर 297 व 298 रकबा 0.59 हैक्टेयर बनाया गया है जो बरारी के अनुसार सही दर्ज किया गया।  
प्रतिवादीगण
7. अनुतोष।  
वाद-बिन्दू कायम होने के पश्चात् वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 16 जनवरी 1988 प्रदर्श-1, प्रमाणित

  
सुपेखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 15 ग्राम कोदर, तहसील सांगानेर प्रदर्श-2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 खाता संख्या 153 ग्राम कोदर, तहसील सांगानेर प्रदर्श-3, प्रमाणित प्रतिलिपि गिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-4, प्रमाणित प्रतिलिपि भवशा ट्रेस प्रदर्श-5 पेश किये है। मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू. 1 रामवररूप, पी.डब्ल्यू. 2 रामकुंवार, पी.डब्ल्यू. 3 गोविन्दराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये, जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

वादीगण अधिवक्ता की बहस सूनी गई। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं बयान गवाहान को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जावे। हमने बहस वादीगण एवं पत्रावली का अवलोकन से पाया कि वाद पत्र का निस्तारण वाद में विरचित तनकीयात अनुसार किया जाना आवश्यक है।

तनकी संख्या एक:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, इस सम्बन्ध में वादीगण का कहना है ग्राम कोदर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित साबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा यानी 0.63 हैक्टेयर भूमि श्रीमती केसर देवी पत्नी भगवतराम जाति जाट ग्राम महला तहसील दूदू ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 16.01.1988 को क्रय की है और विक्रय की गई भूमि के अनुसार वादग्रस्त भूमि में घोषणा चाही है। इसके सन्दर्भ में वादीगण ने प्रमाणित प्रतिलिपि विक्रय पत्र दिनांक 16 जनवरी 1988 प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट साबित है कि वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार कल्याण पुत्र गोविन्दराम अंकित था जिसको कल्याण पुत्र गोविन्दराम से आराजी साबिक खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र वादीगण के हकपूर्वाधिकारी श्रीमती केसर देवी पत्नी भगवतराम जाट बैचान किया जाना विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि से साबित है। वादीगण का यह भी कथन है कि वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात् वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त है तथा साबिका खसरा नम्बर 122/650 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि का रकबा 0.63 हैक्टेयर होना चाहिए जिसके नये खसरा नम्बर 297 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 298 रकबा 0.36 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 हैक्टेयर बनाये गये है, इस प्रकार वादीगण की दौराने सेटलमेन्ट में 0.04 हैक्टेयर भूमि कम अंकित की गई है एवं प्रतिवादीगण की भूमि साबिका खसरा नम्बर 122/649 रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा का रकबा 2.62 हैक्टेयर होना चाहिए जिसका सेटलमेन्ट के दौराने हाल खसरा नम्बर 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 299 कुल किता 14 रकबा 2.79 हैक्टेयर बनाये गये, इस प्रकार प्रतिवादीगण की दौराने सेटलमेन्ट में 0.17 हैक्टेयर भूमि ज्यादा अंकित की गई है। इसके सन्दर्भ में वादीगण ने प्रमाणित प्रमाणित मिलान क्षेत्रफल, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 खाता संख्या 15 व खाता संख्या 153 प्रस्तुत की है जिससे साबित है कि हाल सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण का रकबा 0.04 हैक्टेयर कम किया है और प्रतिवादीगण का रकबा 0.17 हैक्टेयर ज्यादा किया है, भू-प्रबन्धन कार्य के दौरान भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबों में परिवर्तन किया गया है ऐसा करने का उन्हें किसी प्रकार अधिकार नहीं है, प्रतिवादीगण की ओर से


सुपेखप्रंड अधिकारी  
जयपुर जिले (सांगानेर)

इस सम्बन्ध में ऐसा कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उनके पक्ष में कोई तथ्य साबित होता हो, जबकि वादीगण द्वारा इन तथ्यों की पुष्टि दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किये गये हैं, जिसे उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 296 में से 0.02 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 299 में से 0.02 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी हैं तथा शेष 0.13 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में ज्यादा अंकित है जिसे सिवायचक किया जाना उचित है। अतः साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि वादीगण तनकी संख्या एक अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या एक वादीगण के पक्ष तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या दो व तीन एक दूसरे सम्बन्धित है इसलिए दोनों तनकीयात का एक साथ निस्तारण किया जा रहा है:- इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है, वादीगण का कहना है कि वादीगण द्वारा क्रय की गई भूमि पर वादीगण कब्जा काश्त है और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। इस सन्दर्भ में वादीगण द्वारा विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की है जिसमें विक्रेता द्वारा भूमि का बैचान कर वादी को मौके पर भौतिक कब्जा संभलाया गया और वादीगण उसी अनुरूप वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि काबिज काश्त है तथा तनकी संख्या एक को साबित करने में वादीगण सफल रहा है, ऐसी स्थिति में वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। अतः दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि वादीगण तनकी संख्या दो व तीन अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या दो व तीन वादीगण के पक्ष तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या चार:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण की प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रतिवादीगण इन तथ्यों की पुष्टि करने में असफल रहे हैं तथा इसके सम्बन्ध तनकी संख्या तीन में वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि प्रतिवादीगण तनकी संख्या चार को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है तथा वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या पांच:- इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण की प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रतिवादीगण इन तथ्यों की पुष्टि करने में असफल रहे हैं तथा इसके सम्बन्ध तनकी संख्या दो में वादीगण अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि प्रतिवादीगण तनकी संख्या पांच को अपने पक्ष में साबित

  
उपखण्ड अधिकारी  
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है तथा वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या छः—इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है, प्रतिवादीगण की प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रतिवादीगण इन तथ्यों की पुष्टि करने में असफल रहे हैं तथा इसके सम्बन्ध तनकी संख्या एक में वादीगण अपने पक्ष में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित करने में सफल रहे हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का मत है कि प्रतिवादीगण तनकी संख्या पांच को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं, ऐसी स्थिति में तनकी संख्या चार प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है तथा वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी संख्या सातः—उपरोक्त विवेचानुसार चूंकि तनकी संख्या एक लगायत तीन वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध तथा तनकी संख्या चार लगायत छः प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय की जाती है। उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत घोषणा डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाता है कि वादीगण को वाके कोदर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 296 में से 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 299 में से 0.02 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं, शेष 0.13 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में गत रकबें से अधिक होने से प्रतिवादीगण की भूमि में से 0.13 हैक्टेयर भूमि को सिवायचक किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं प्रतिवादीगण के नाम इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामल किया जावें। इसी अनुरूप डिक्री जारी हों। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/6/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(AL)  
(हिम्मत सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट  
जयपुर-द्वितीय (सांगानेर)  
जयपुर